कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444
पत्रांक-1370 /12-1 , कोटबंगला दिनांक 26 /10 /2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

Dy No 2208/ [illegible]
dt 9/11/2021

विषय :– उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रपोजल नं0–FP/UK/ROAD/31858/2018.)

सन्दर्भ :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्रांक–1200/वन भूमि दिनांक 08.07.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है–

क्र. सं.	शर्तो / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.10 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मातली सिविल खसरा नं0 3105, 3111, 3187 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 13,82,454.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0–CAMPAUK6131858699 Union Bank of India Branch Address: 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003 में जमा कर दी गई है (संलग्नक–1)।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का आदेश की छाया प्रति संलग्न–2 व 3)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 1298/12–1, दिनांक 13.10.2021 के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया जा चुका है (संलग्नक–4)।

	से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण-पत्र संलग्न है **(संलग्नक–5)**।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** (क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.05 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 हेतु रू0 13,46,850.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के CAMPAUK6131858699 Union Bank of India Branch Address: 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003 में जमा कर दी गई है**(संलग्नक–1)**। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त यदि कोई अतिरिक्त धनराशि देय होगी, तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–6)**।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 122 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) द्वारा चालान तैयार कर रू0 27,29,304.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–CAMPAUK6131858699 Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003 में जमा कर दी गई है (संलग्नक–1)।
7	The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be strictly complied with by the State Govt. and User Agency.	राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को सज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे, राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

पत्रांक 1370 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 204 / 2019 / एफ.सी. 1596 दिनांक: 21 / 10 / 2020

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – उत्तरकाशी के अंतर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्तागॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1226/x-4-19/1(149)/2019 दिनांक 02.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/31858/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.10.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **जनपद – उत्तरकाशी के अंतर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्तागॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.10 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मातली सिविल खसरा नं0 3105, 3111, 3187 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **2.05** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 122 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https: parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

7. The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be strictly complied with by the State Govt. and User Agency .
8. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुंनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 1774 /12-1-, कोटबंगला दिनांक 23 /11 /2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

प्राप्ति-1869/वनभूमि
दिनांक-25/11/2020

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/31858/2018।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/204/2019/एफ0सी0/1596 दिनांक 21.10.2020 तथा आपका पत्रांक–3250/वन भूमि, दिनांक 11.11.2020।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना की निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लिखित शर्त सं0–3 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि तथा शर्त सं0–4 के अनुसार एन0पी0वी0 के निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि का चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तो की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।	4.10 हे0	3,37,184/– प्रति हे0	13,82,454.00
2	एन0पी0वी0	2.05 हे0	घनत्व–0.3 दर– 6,57,000/–	13,46,850.00

इसके अतिरिक्त शर्त सं0–16 के अनुसार वन भूमि के सीमांकन हेतु संलग्न प्राक्कलन में निर्धारित मूल्य रू0 4,98,500.00 की धनराशि भी इस वन प्रभाग के नाम चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-03-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI
Application No.	6131858699
State Code.	UK
Address.	PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWKUttarkashi
Amount(in Rs)	2729304/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Twenty-Nine Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6131858699
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-03-2021

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI
Application No.	6131858699
State Code.	UK
Address:	PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWK Uttarkashi
Amount(in Rs)	2729304/-

Amount In Words :Twenty-Seven Lakh Twenty-Nine Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6131858699
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1328/वन विभाग दिनांक 23 जुलाई 2021 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से संताणगांव तक मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.05 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल सोयम वन भूमि ग्राम मातली के खसरा संख्या 3105, 3111 एवं 3187 रक्वा 4.10 है0 चयनित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6115/पी0ए0(अ0जि0अधि0) 2020-21 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा उप जिलाधिकारी, डुण्डा से स्पष्ट आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा अपनी आख्या पत्र संख्या 957/र0का0-क्षतिपूरक वृक्षा0/2021-22 दिनांक 03 अगस्त 2021 के द्वारा ग्राम मातली के खसरा संख्या 3105/1.018, 3111/1.943, 3187म./1.139 है0 कुल 4.100 है0 भूमि देविधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त/उपलब्ध है। उप जिलाधिकारी, डुण्डा की आख्या के अनुसार उक्त भूमि अब्बल ही वन विभाग के प्रबन्धन अभिलेखों में दर्ज है।

अत: उपरोक्तानुसार पूर्व में उपलब्ध करवायी गयी भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के नाम नामांतरण/हस्तांतरण के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जात हैं।

(तीर्थ पाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 6354/ग्यारह-विविध/2019-20 दिनांक 03 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
3. उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

नकल M.L.A खतौनी ग्राम भाटली पट्टी बरसाली तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी फसली (1425 से 1430 तक)

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

	तर्ज 9(3)क :		
59.	वृक्षारोपण हेतु वन	3105	1.018
	विभाग के सम्बन्ध	3111	1.943
	में :	3187	4.417
	योग	3	7.378

प्रतिलिपि सत्यापित।

[illegible] [illegible]

रा० उप निरी०

भाटली